क्र0	कार्य विवरण	कार्य के लिये आवश्यक अभिलेख	काम में लगने वाला समय (कार्य दिवसों में अर्थात निष्पादन मानक)	सक्षम अधिकारी	देय फीस
1	2	3	4	5	6
1	लर्निंग लायसेंस हेतु	फार्म 2 में आवेदनपत्र दिया जावेगा, साथ में निम्न अभिलेख संलग्न किये जायेंगे :- 1.फार्म - 1 एवं 1 ए में चिकित्सा उपयुक्तता सम्बधी क्रमशः घोषणा एवं मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट परिवहन यान से भिन्न वाहन के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन फार्म 1 में आवेदक का घोषणा पत्र अनिवार्य है। परिवहन यान के लिए फार्म 1 में घोषणा पत्र में और फार्म 1 ए में मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। मेडिकल सर्टिफिकेट शिक्षार्थी लायसेंस तथा चालन अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीनीकरण करने के लिए तथा वाहन वर्ग जोड़ने के लिए अनिवार्य है, जो एमबीबीएस डाक्टर से जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर हो से प्राप्त किया जावेगा। मेडिकल प्रमाणपत्र पर आवेदक का हाल का फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। 2.निवास प्रमाणपत्र तथा आयु प्रमाणपत्र हेतु प्रत्येक आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक या अधिक दस्तावेज मूल रूप में या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी की समतुल्य पंक्ति का हो या ग्राम प्रशासन अधिकारी या नगर निगम पार्षद या पंचायत अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित किया गया हो, प्रस्तुत करेगा :- 1/ राशन कार्ड 2/ निर्वाचन नामावली 3/ जीवन बीमा पालिसी 4/ पासपोर्ट 5/ वेतन पर्ची - शाससकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा जारी 6/ स्कूल प्रमाणपत्र 7/ जन्म प्रमाणपत्र अथवा 8/ आयु प्रमाणपत्र जो सिविल सर्जन या उससे कम पद के सीएमओ का न हो जारी किया गया प्रमाणपत्र। 1.निर्धारित फीस जमा करने की रसीद अथवा ट्रेजरी चालान मूलतः 2.आवेदक के पासपोर्ट साईज के तीन अद्यतन फोटोग्राफ संलग्न करें। **टीपः-** 1.आवेदक की आयु 18 वर्ष अनिवार्य है। सिर्फ	टेस्ट में उत्तीर्ण होने के बाद 1.कार्यालय में टेस्ट होने पर 3 दिन 2. केम्प में टेस्ट होने पर 7 दिन	जिले का सम्बधित लायसेंसिंग अथारिटी	प्रत्येक वर्ग के यान के लिए रू. 30/-

		50 सीसी तक की बिना गियर वाली वाहनों के लिए 16 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। इसके लिए उपर अनुसार आयु प्रमाणपत्र संलग्न करें। 2.यथास्थिति शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति आवेदनपत्रों में यह अभिव्यक्त किया गया होगा कि किस वर्ग का यान मोटरयान चलाने के लिए आवेदन दिया है। मोटरयानों के वर्ग निम्नानुसार है:- **क - बिना गियर वाली मोटर साईकिल** **ख - गियर वाली मोटर साईकिल** **ग - अशक्त यात्री गाडी** **घ - हल्का मोटरयान** **ड. - परिवहन यान** **च - मध्यम यात्री मोटरयान** **छ - रोड रोलर** **ज - किसी विर्निदिष्ट प्रकार का मोटरयान**			
2	लर्निंग लायसेंस टेस्ट	1.प्रारूप-2 में निर्धारित अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र टेस्टिंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। टेस्टिंग अधिकारी द्वारा संलग्न अभिलेखों का परीक्षण कर तिथि निर्धारित की जावेगी अथवा पूर्व निर्धारित तिथि को टेस्ट लिया जावेगा। आवेदनपत्र अधूरा होने पर तत्काल पूर्ति हेतु वापस किया जावेगा। टेस्टिंग अधिकारी परीक्षण उपरांत टेस्ट का नतीजा आवेदनपत्र में तथा अपने लर्निंग रजिस्टर में दर्ज कर कार्यालय को प्रेषित करेगा। 2.टेस्टिंग अथारिटी द्वारा टेस्ट या तो मौखिक रूप से लिया जावेगा या लिखित रूप में प्रश्न लिया जावेगा। लिखित रूप में प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। टीपः- 1/ टेस्ट केवल उसी वर्ग का लिया जावेगा, जिस वर्ग के लिए आवेदन किया गया है। 2/ फीस भी तदनुसार वसूल की जावेगी।	टेस्ट हेतु निर्धारित तिथि को टेस्ट लिया जावेगा - 07 कार्य दिवस	शिक्षार्थी लायसेंस का प्रारंभिक टेस्ट लायसेंसिंग अथारिटी परिवहन निरीक्षक, परिवहन उप-निरीक्षक, सहायक परिहवन उप-निरीक्षक या लायसेंस बोर्ड	प्रत्येक वर्ग के लिए रू. 30/-
3	डायविंग लायसेंस हेतु	फार्म 04 में आवेदनपत्र दिया जावेगा, जिसके साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जावेंगेः- 1.वैध शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, जो कम से कम 30 दिन पूर्व जारी किया गया हो। 2.आवेदक का अद्यतन पासपोर्ट साईज के तीन फोटोग्राफ 3.निर्धारित फीस जमा करने की रसीद अथवा	टेस्ट में उत्तीर्ण होने के बाद 1.कार्यालय में टेस्ट होने पर 7 दिन 2. केम्प में टेस्ट होने पर 10 दिन	लायसेंसिग अथारिटी परिवहन निरीक्षक, परिवहन उप-निरीक्षक, सहायक	चलक लायसेंस 1. फार्म नं. 6 में जारी होने पर- रू. 40/- 2. फार्म नं. 7 में कम्प्यूटरीकृत चालक लायसेंस

		ट्रेजरी चालान मूलतः।		परिवहन उप-निरीक्षक या लायसेंस बोर्ड	हेतु रू.200/- यह फीस टेस्ट फीस के अतिरिक्त है।
4	डायविंग लायसेंस टेस्ट हेतु	1.फार्म 04 में आवेदनपत्र के साथ क्रमांक 3 में उल्लेखित अभिलेख संलग्न करना आवश्यक है। कम से कम 30 दिन पूर्व जारी किया गया लर्निंग लायसेंस भी अनिवार्य है। आवेदनपत्र सम्बधित टेस्टिंग अथारिटी के समक्ष टेस्ट हेतु प्रस्तुत किया जावेगा	टेस्ट हेतु निर्धारित तिथि को टेस्ट लिया जावेगा - 01 कार्य दिवस	लायसेंसिंग अथारिटी अथवा परिवहन निरीक्षक अथवा उप परिवहन निरीक्षक अथवा चालक टेस्टिंग बोर्ड	प्रत्येक वर्ग के लिए रू. 50/-
5	डुप्लीकेट लर्निंग लायसेंस / डुप्लीकेट लायसेंस हेतु	1.डुप्लीकेट लर्निंग लायसेंस हेतु प्रारूप सीजीएमव्हीआर-4 (एलएलआरडी) में आवेदनपत्र के साथ डुप्लीकेट लर्लिंग लायसेंस के लिए जारी करने वाले लायसेंसिंग अथारिर्टी को और चालक लायसेंस के लिए जहां अंतिम बार नवीनीकरण हुआ है, वहां आवेदन कर सकता है। 2.डुप्लीकेट चालक लायसेंस हेतु प्रारूप सीजीएमव्हीआर-3 (एलएलडी) में आवेदनपत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करेंगाः- **क** - निर्धारित फीस का प्रमाण रसीद अथवा ट्रेजरी चालान मूलतः **ख** - छ.ग. मोटरयान नियम 1994 के नियम 11 (4) में शपथपत्र अथवा घोषणापत्र। जैसी भी स्थिति हो **ग** - यदि मूल लर्निंग लायसेंस / चालक लायसेंस खराब हो गया हो तो उसे भी संलग्न किया जावे।	(1) मूल लायसेंसिंग अथारिर्टी होने की दशा में 07 कार्य दिवस (2) यदि मूल लायसेंसिंग अथारिर्टी नहीं है तो मूल लायसेंसिंग अथारिर्टी से छ.ग. मोटरयान नियम 11 (3) में रिपोर्ट आने के पश्चात् 07 कार्य दिवस	लायसेंसिंग अथारिटी	1-लर्निंग लायसेंस की डुप्लीकेट की दशा में रू 30 2- चालक लायसेंस डुप्लीकेट की दशा में प्रारूप 6 का लायसेंस रू. 100 अथवा प्रारूप 7 का लायसेंस रू. 150
6	कंडक्टर लायसेंस	1.प्रारूप सीजीएमव्हीआर-11 (एमकॉन,ए) में आवेदन पत्र 2.प्रारूप सीजीएमव्हीआर-12 (एमसीकॉन) में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित एवं जारी किया गया स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र जो 30 दिवस के भीतर जारी किया गया हो।	पुलिस सत्यापन होने के पश्चात 7 कार्य दिवस	लायसेंसिंग अथारिटी	रू. 100/-

		3.प्रारूप सीजीएमव्हीआर-13 (एफए) में सिविल सर्जन या जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध प्रथमोत्पचार प्रमाणपत्र 4.शैक्षणिक अर्हता कम से कम 8 वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है। 5. चरित्र प्रमाणपत्र, उम्र तथा निवास प्रमाणपत्र का साक्ष्य तथा दो पासपोर्ट साईज का फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है।			
7	डुप्लीकेट कंडक्टर लायसेंस	प्रारूप सीजीएमव्हीआर-18 (सीएलडी) में आवेदन पत्र तथा 3 पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ	07 कार्य दिवस	लायसेंसिंग अथारिटी	रू. 150/-
8	डायविंग लायसेंस का नवीनीकरण	1.प्रारूप संख्या में 9 में आवेदनपत्र 2.पासपोर्ट साईज का 3 फोटोग्राफ 3.चालक अनुज्ञप्ति की मूल प्रति 4.फार्म 1 में घोषणापत्र वास्ते गैर परिवहन यान लायसेंस के लिए 5. फार्म 1 ए में चिकित्सकीय प्रमाणपत्र वास्ते परिवहन यान लायसेंस के लिए एवं गैर परिवहन यान लायसेंस के लिए यदि धारक की आयु 40 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो।	10 कार्य दिवस	लायसेंसिंग अथारिटी	(1)यदि लायसेंस ग्रेस पेरियड के अन्दर हो तो प्रारूप 6 के नवीकरण हेतु रू. 50 एवं प्रारूप 7 के नवीकरण हेतु रू. 200/- (2) यदि अनुज्ञप्ति 30 दिवस ग्रेस पेरियड के बाद नवीनीकरण किया गया हो तो फीस रू. 100/- तथा विलम्ब के लिए रू. 50/- प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए फार्म-6 हेतु देय होगा। यदि लायसेंस कम्प्यूटर से फार्म-7 पर बनाना हो तो रू. 200/-फीस

					देय होगा।
9	कंडक्टर लायसेंस का नवीनीकरण	1.प्रारूप सीजीएमव्हीआर 15 (एलसीकॉन आर) में आवेदन पत्र 2. मूल परिचालक अनुज्ञप्ति एवं 3 पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ तथा एमव्हीआर 12 (एनसीकान) में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा स्वस्थता का प्रमाणपत्र जो 30 दिन के भीतर जारी किया गया हो।	10 कार्य दिवस	लायसेंसिंग अथारिटी	रू. 100/-
10	लर्निंग लायसेंस का नवीनीकरण	प्रारूप 2 में आवेदनपत्र एवं लर्निंग लायसेंस की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	03 कार्य दिवस	लायसेंसिंग अथारिटी	रू. 30/- प्रत्येक वर्ग के लिए
11	डायविंग लायसेंस में वर्ग वृद्धि	**(अ) परिवहन यान के लिए** :- फार्म नं.8 में आवेदनपत्र, फार्म नं. 5 में ड्रायविंग स्कूल का प्रमाणपत्र एवं पुलिस रिपोर्ट टीपः- 1. आवेदक की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए 1.हल्का मोटरयान का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। परिवर्धन कराने वाले वर्ग का शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जो कम से कम 30 दिवस पूर्व जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। **(ब) गैर परिवहन यानः**- फार्म 8 में आवेदनपत्र, मूल चालक अनुज्ञप्ति, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जो कम से कम 30 दिवस पूर्व जारी किया गया हो	पुलिस सत्यापन होने के पश्चात 7 कार्य दिवस	लायसेंसिंग अथारिटी	(अ) चालन सक्षमता (प्रत्येक वर्ग) परीक्षण का रू. 50/- एवं प्रारूप 6 में रू. 30 प्रारूप 7 में रू. 200 देय होगा।
12	परिवहन यान का बैज अथवा परिवहन यान चलाने हेतु अधिकृत करना	1.प्रारूप सीजीएमव्हीआर-1 (एटीव्हीए) में आवेदनपत्र 2. मूल चालक अनुज्ञप्ति तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाणपत्र टीप्पणी-	तदैव	लायसेंसिंग अथारिटी	आवेदनपत्र का रू. 100 एवं बैज का रू. 100
13	परिवहन यान का डुप्लीकेट बैज	प्रारूप सीजीएमव्हीआर 2 में (डीटीव्हीपी) में आवेदनपत्र	तदैव	लायसेंसिंग अथारिटी	रू. 100
14	अन्तर्राष्ट्रीय चालक परमिट	1.विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति 2.प्रारूप 4 ए में आवेदनपत्र 3.तीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ 4.प्रारूप 1 (क) में चिकित्सीय प्रमाणपत्र 5.भारतीय नागरिक होने का विधिमान्य	10 कार्य दिवस	लायसेंसिंग अथारिटी	रू. 500

		प्रमाणपत्र 6.वैध पासपोर्ट 7.जहां प्रयोज्य हो वहां का विजा प्रमाणपत्र			
15	ड्रायविंग स्कूल और स्थापना के संबंध में स्वीकृति/ नवीनीकरण हेतु	1. आवेदन पत्र केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के फार्म-12 में अद्यतन पासपोर्ट साईज अभिप्रमाणित फोटोग्राफ तथा आवेदक के अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा। 2.आवेदक का अद्यतन पासपोर्ट साईज के तीन फोटोग्राफ 3.निर्धारित फीस जमा करने की रसीद अथवा ट्रेजरी चालान मूलतः। 4.स्कूल किस स्थान पर स्थापित किया जायेंगा, उसका मानचित्र 5. स्थान/परिसर स्वयं के स्वामित्व का है अथवा किराये पर है संबंधी प्रमाण पत्र जिसमें लिज अथवा किराया करार की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें। 6. प्रशिक्षण देने वाली वाहन के स्वामित्व निश्चित करने हेतु रजिस्ट्रेशन प्रमाण 7. प्रशिक्षण देने वाली वाहन डबल कंट्रोल की है इस संबंधी प्रमाण एवं वाहन के अन्दर की दो अद्यतन फोटोग्राफ, दो विभिन्न कोणों के तथा एक बाहरी फोटोग्राफ वाहन के सामने से , जिसमें रजिस्ट्रेशन नम्बर स्पष्ट दिखें। 8. नियम 24 (3) के अनुसार निर्धारित आर्हताओं संबंधी प्रमाण पत्र 9. आवेदक के शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं उसकी वित्तीय स्थिति संबंधी प्रमाण पत्र 10. प्रशिक्षण देने के लिये लायब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों की सूची एवं वाहन के इंजिन के कट्स सेक्सन के चार्ट, ड्रायविंग संबंधी फिल्म एवं वीडियों सुविधा जोउपलब्ध हो का प्रमाण। टीप-1नवीनीकरण की दशा में सभी अभिलेख जहां तक आवश्यक हो संलग्न किये जायेगे। विशेष रूप से वाहन परिसर एवं लायब्रेरी, तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम-24 के अन्तर्गत विहित आर्हताओं के संबंध में। 2. आवेदक नवीकरण की दशा में लायसेंस की पिछली वैधता के दौरान कितने व्यक्ति को प्रशिक्षित किया आवश्यक रूप से संलग्न करें।	आवेदक के चरित्र सत्यापन तथा परिसर के निरीक्षण तथा अन्य सुविधाओं की निरीक्षण के रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् 30 दिवस	संबंधित जिले के परिवहन विभाग का अधिकारी जो सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से नीचे पद का न हो	रू. 2500/-

16	ड्रायविंग स्कूल और स्थापना संबंधी लायसेंस का डुप्लीकेट लायसेंस हेतु	1 आवेदन पत्र साधारण कागज पर अद्यतन पासपोर्ट साईज अभिप्रमाणित फोटोग्राफ तथा आवेदक के अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा। 2.आवेदक का अद्यतन पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ 3.निर्धारित फीस जमा करने की रसीद अथवा ट्रेजरी चालान मूलतः। 4. लायसेंस गुम होने के संबंध में शपथपत्र में घोषण।	15 कार्य दिवस	-तदैव-	रू. 2500/-

क्र0	कार्य विवरण	कार्य के लिये आवश्यक अभिलेख	काम में लगने वाला समय (कार्य दिवसों में अर्थात निष्पादन मानक)	सक्षम अधिकारी	देय फीस
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1	वाहन का पंजीयन हेतु	फार्म 20 में आवेदनपत्र के साथ आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। साथ ही भौतिक रूप से सत्यापन हेतु वाहन प्रस्तुत की जावेगीः- 1.फार्म 21 विक्रय पत्र एवं कैश मेमो 2.फार्म 22 रोडवर्दीनेश प्रमाणपत्र या यथास्थिति 22-ए 3.निर्धारित दर पर जमा कर का प्रमाण 4.आयकर का पेन नंम्बर अथवा घोषणा। पत्र फार्म 60-61 में (दो पहिया वाहनों को छोड़कर) 5.वाहन का बीमा प्रमाणपत्र 6.फायनेंस की स्थिति में फार्म 20 में फायनेंसर के हस्ताक्षर एवं मुद्रा **7.पता प्रमाणपत्र कोई एकः**- राशन कार्ड/ मतदाता सूची अथवा मतदाता परिचय पत्र/ जीवन बीमा पालिसी / पासपोर्ट / केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा जारी पे-स्लिप/ जन्म प्रमाणपत्र 8.कस्टम क्लीयरेंस प्रमाणपत्र (आयातित	07 कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	**श्रेणीवार फीस** 1.अशक्त वाहन-रू. 20 2.दोपहिया वाहन रू. 60/- 3.हल्का मोटरयान, गैर व्यवसायिक वाहन - रू. 200.00 4.हल्का व्यवसायिक वाहन - रू. 300.00 5.मध्यम मोटरयान मध्यम मालयान-400/- मध्यम यात्री वाहन - रू. 400 6.भारी मोटरयान भारी मालयान-600/-

		वाहन के लिए) 9.वाहन का अस्थाई पंजीयन (यदि वाहन प्रधिकार के क्षेत्राधिकार के बाहर से क्रय कर लाई गई हो अथवा बाडी का निर्माण किया जा रहा हो) 10. राज्य के बाहर से क्रय की गई वाहन हेतु प्रवेश कर भुगतान प्रमाणपत्र 11.ट्रेलर-अर्द्ध ट्रेलर हेतु परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत डिजाईन की प्रतिलिपि 12.लोक सेवायान के सम्बध में यान का ब्लू प्रिंट एवं यान के बाहर के तीन दिशाओं के रंगीन तीन फोटों एवं अंदर के दो फोटो। साथ ही वाहन का चेचिस प्रिंट दो प्रतियों में, जिसमें वाहन स्वामी का हस्ताक्षर व दिनांक अंकित हो। माल वाहन की दशा में केवल वाहन के तीन दिशाओं के तीन रंगीन फोटो लगेगीं। 13.यदि मिलेट्री आक्श्न से क्रय की गई हो तो मिलेट्री सेल व्हाऊचर एवं संसद कोटे से क्रय गई हो तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र। 14.यदि वाहन परिवहन यान है तो फिटनेस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र फार्म-22 पर प्रस्तुत करना होगा। 15.पर्यटक यान के दशा में केन्द्रीय मोटरयान नियम1989 के नियम 128 में दी गई विशिष्टियों के अनुसार यान का ब्लू प्रिंट एवं यान की विशिष्टियां नियम के अनुसार है। इस संबंध में बाड़ी निर्माता का प्रमाण पत्र के साथ-साथ यान के बाहर के तीन दिशाओं के तीन फोटो एवं अंदर के तीन रंगीन फोटो संलग्न करेंगें।			भारी यात्री वाहन - रू. 600 7.आयातित मोटर साईकिल - रू. 200 8.आयातित अन्य वाहन - 800 9.अन्य वाहन जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते है - रू. 300 10. भाड़ा क्रय करार/ बंधक/लीज एग्रीमेंट - रू. 100/-
2	रजिस्ट्रेशन एसाईनमेंट हेतु	फार्म 27 में आवेदनपत्र के साथ आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। साथ ही भौतिक रूप से सत्यापन हेतु वाहन प्रस्तुत की जावेगीः- मूल पंजीयन पुस्तिका, बीमा प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, कर प्रमाणपत्र,	मूल पंजीयन अधिकारी से सत्यापन होने के पश्चात 07 कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	तदैव

		फायनेंस की दशा में फार्म 27 में वित्तदाता की सहमति।			
3	पता परिवर्तन हेतु	फार्म 33 में आवेदनपत्र के साथ आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। साथ ही भौतिक रूप से सत्यापन हेतु वाहन प्रस्तुत की जावेगीः- 1.पता प्रमाणपत्र - स.क्र. 1 के अनुसार 2.अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि अन्य पंजीयन प्राधिकारी से लाई जाने पर 3.राज्य में प्रवेश के समय कर भुगतान का प्रमाणपत्र 4.मूल पंजीयन पुस्तिका 5.फिटनेस प्रमाणपत्र 6.बीमा प्रमाणपत्र	पता सत्यापन हेतु 30 दिन एवं इंद्राज हेतु 03 दिन	पंजीयन अधिकारी	रू. 20 /-
4	स्वामित्व अंतरण हेतु	फार्म 29 एवं 30 में आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- 1.पंजीयन पुस्तिका 2.बीमा प्रमाण पत्र 3.कर प्रमाणपत्र 4.क्रेता का पता प्रमाणपत्र (स.क्र. 7 में बताये अनुसार) 5.वाहन फायनेंस की स्थिति में वित्त पोषक की सहमति फार्म 30 में	07 दिन में अन्य पंजीयन प्राधिकारी की वाहन के लिए मूल पंजीयन अधिकारी से सत्यापन होने के बाद 07 दिन ।	पंजीयन अधिकारी	नवीन पंजीयन का आधा फीस
5	अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु धारा-48 के अन्तर्गत	आवेदन पत्र फार्म 28 तीन प्रतियों में आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- 1.पंजीयन प्रमाणपत्र 2.पुलिस अधीक्षक से प्राप्त पुलिस रिपोर्ट 3.कर चुकता प्रमाणपत्र 4.धारा 86 की रिपोर्ट 5. वित्त पोषक (यदि हो तो) सहमति फार्म 28 में।	पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 7 दिन	पंजीयन अधिकारी	रू. 50/-
6.	लीज एग्रीमेंट हायर परचेज आदि की	फार्म 34 में आवेदनपत्र के साथ आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित	07 कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	रू. 100

	पंजीयन प्रमाणपत्र में प्रविष्टि हेतु	अभिलेख प्रस्तुत करना :- 1.मूल पंजीयन पुस्तिका 2.वित्तपोषक का सहमति पत्र जिसमें वित्तपोषक का पता, टेलीफोन, फैक्स नं. ई-मेल का उल्लेख हो			
7	हायर परचेज टर्मिनेशन हेतु	आवेदनपत्र फार्म 35 में आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- 1.मूल पंजीयन पुस्तिका 2.वित्तपोषक का सहमति पत्र जिसमें वित्तपोषक का पता, टेलीफोन, फैक्स नं. ई-मेल का उल्लेख हो	सात कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	रू. 100
8	कर चुकता प्रमाणपत्र हेतु	आवेदनपत्र आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा।:- कर भुगतान का प्रमाणपत्र	सत कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	रू. 50
9	पंजीयन प्रमाणपत्र की डुप्लीकेट हेतु	आवेदनपत्र फार्म 26 में आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- 1.कटी-फटी/ विरूपित पंजीयन पुस्तिका 2. गुम होने या चोरी की दशा में पुलिस रिपोर्ट	सत कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	पंजीयन शुल्क का आधा
10	अस्थाई पंजीयन प्रमाणपत्र हेतु	आवेदनपत्र फार्म 20 में टीआरए में आवश्यक फीस एवं अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- 1.विक्रय पत्र फार्म 21 की द्वितीय प्रति	तीन कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	अशक्त वाहन रू. 10 दो पहिया वाहन रू. 50 गैर व्यवसायिक वाहन रू. 100 अन्य व्यवसायिक वाहन रू. 200
11	वाहन का रजिस्ट्रेशन विवरण हेतु	आवेदनपत्र आवश्यक फीस के साथ प्रस्तुत करना होगा।	तीन कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	रू. 50
12	वाहन में परिवर्तन की अनुमति	आवेदनपत्र एवं फार्म 34 (बीटीआई) में आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित	सात कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	रू. 50

		अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- केवल आवेदन			
13	वाहन में परिवर्तन का इन्द्राज हेतु	आवेदनपत्र आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- 1.किये गये परिवर्तन प्रमाण स्वरूप अधिकृत विक्रेता का बिल 2. परिवर्तन के पश्चात् वाहन निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। 3.मूल पंजीयन प्रमाण पत्र	सात कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	रू.
14	हायर परचेज लीज एग्रीमेंट बंधक सम्बधी प्रमाण पत्र हेतु	आवेदनपत्र आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- केवल आवेदन	सात कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	रू. 50
15	फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने अथवा नवीनीकरण हेतु	आवेदनपत्र फार्म 22 (सीएफए) में आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- 1.पंजीयन पुस्तिका 2.बीमा प्रमाण पत्र 3.पुराना फिटनेस 4.धारा 86 की रिपोर्ट 5.कर शाखा की रिपोर्ट 6.परमिट 7.मोटरकैब की दशा में टैक्सी मीटर का सत्यापन प्रमाण पत्र	तीन कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	दो एवं तीन पहिया -रू. 100 हल्का यान 200 मध्यम यान 300 भारी यान 400 फिटनेस प्रमाण पत्र स्वीकृत शुल्क रू. 100
16	डुप्लीकेट फिटनेस हेतु	आवेदनपत्र फार्म सीजीएमव्हीआर 31 (सीएफएलडी) में आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- 1.पुलिस रिपोर्ट/ शपथ पत्र	तीन कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	1.हल्का परिवहन मोटरयान के लिए रू. 200/- 2. मध्यम यात्री/मालयान के लिए रू. 300/- 3.भारी यात्री/मालयान के लिए रू. 500/-
17	टेड सर्टिफिकेट स्वीकृति हेतु	आवेदनपत्र फार्म 16 में आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा :-	15 कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	अशक्त वाहन रू. 50 दो पहिया वाहन

		1..निर्माता द्वारा अधिकृत विक्रेता प्रमाणपत्र 2.फर्म का पंजीयन प्रमाणपत्र 3.पता प्रमाण पत्र 4.स्थानीय निर्माता के मामले में परिवहन आयुक्त का डिजाईन स्वीकृति की प्रति 5.निर्धारित मोटरयान कर जमा का प्रमाण पत्र			रू. 50 अन्य वाहन रू. 200
18	टेड सर्टिफिकेट नवीनीकरण हेतु	आवेदनपत्र फार्म 16 में आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- 1. फार्म 19 में विवरण 2.निर्धारित मोटरयान कर जमा का प्रमाण पत्र	07 कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	नवीन ट्रेड के अनुसार
19	टेड सर्टिफिकेट डुप्लीकेट हेतु	आवेदनपत्र फार्म 18 में आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- केवल आवेदन	03 कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	1.मोटर साईकिल एवं अशक्त वाहन के लिए रू.30/- 2.अन्य यान के लिए रू. 100/-
20	अधिकृत टेस्टिंग स्टेशन हेतु	आवेदनपत्र फार्म 40 में आवश्यक फीस एवं अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा।	30 कार्य दिवस टेस्टिंग स्टेशन सत्यापन हेतु तत्पश्चात सत्यापन होने पर सात दिन।	पंजीयन अधिकारी	
21	डुप्लीकेट लेटर आफ अथारिटी हेतु (केन्द्रीय मो.या. नियम के नियम 63)	आवेदनपत्र आवश्यक फीस एवं अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा।	सात कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	
22	वाहन संबंधी किसी भी जानकारी हेतु जैसे विवरण, कर भुगतान अथवा हायर परचेज आदि	आवेदनपत्र आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- केवल आवेदन	07 कार्य दिवस	पंजीयन अधिकारी	रू. 50
23	टेक्सी मीटर के सत्यापन हेतु	आवेदनपत्र आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- 1. केवल आवेदन एवं वाहन प्रस्तुत करना होगा।	07 कार्य दिवस	यथास्थिति पंजीयन प्राधिकारी अथवा परिवहन निरीक्षक अथवा परिवहन उप	----

				निरीक्षक, सहायक परिवहन उप निरीक्षक या नापतौल विभाग का सक्षम अधिकारी	
24	(1) पर्यटक यान, टेक्सी यान, नेशनल परमिट के ट्रक अथवा अन्य परिवहन यानों की कलर स्कीम का सत्यापन अथवा (2) एयर कंडीशन बस अथवा स्लीपर कोच अथवा डिलक्स बस के विशिष्टयों का सत्यापन अथवा (3) मालयान में पशु ढोने की व्यवस्था का सत्यापन	आवेदनपत्र आवश्यक फीस एवं निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगाः- केवल आवेदन एवं वाहन प्रस्तुत करना होगा।	01 कार्य दिवस	यथास्थिति पंजीयन प्राधिकारी अथवा परिवहन निरीक्षक अथवा उप परिवहन निरीक्षक	रू. 50
25	प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने बाबत्	1.आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना, 2001 के प्रारूप-1 में अद्यतन पासपोर्ट साईज अभिप्रमाणित फोटोग्राफ तथा आवेदक के अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा। 2.आवेदक के अद्यतन पासपोर्ट साईज के दो अतिरिक्त फोटोग्राफ 3.निर्धारित फीस जमा करने की रसीद अथवा ट्रेजरी चालान मूलतः। 4. आवेदक का शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र नियम-3 के अनुसार 5. आवेदक का आयु प्रमाण पत्र 6. आवेदक के पास उपलब्ध नियम-3 के अनुसार यंत्र 7. प्रदूषण जांच केन्द्र के परिसर का अथवा दुकान मानचित्र एवं स्वामित्व संबंधी प्रमाण 8. आवेदक यदि आरक्षित वर्ग का है तो	आवेदक के चरित्र सत्यापन तथा परिसर के निरीक्षण तथा अन्य सुविधाओं की निरीक्षण के रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवस	जिला कलेक्टर एवं उसके अधीनस्थ समिति	1.जांच केन्द्र आवेदन पत्र रू. 300/- 2. प्राधिकारी पत्र प्रदाने करने हेत- क. आरक्षित प्रवर के लिए रू. 3000/- ख. अन्य के लिए रू. 5000/-

		उस संबंधी प्रमाण पत्र 9. शासकीय योजना में स्वीकृत ऋण संबंधी प्रमाण पत्र 10. पूर्व अनुभव संबंधी नियम के अनुसार प्रमाण पत्र टीप-1.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक तथा शासन की त्रण योजनाओं में प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने हेतु त्रण प्राप्त आवेदक अथवा इकाई को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।			
26	गैर परिवहन यान का पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण	1.फार्म-25 पर आवेदन 2.पंजीयन पुस्तिका 3.वैद्य बिमा प्रमाण पत्र 4.कर जमा का प्रमाण पत्र 5.भौतिक सत्यापन हेतु वाहन को प्रस्तुत किया जावेगा	07 कार्य दिवस	पंजीयन प्राधिकारी	नवीन पंजीयन के अनुसार

क्र0	कार्य की प्रकृति	प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण	काम में लगने वाला समय (कार्य दिवसों में अर्थात निष्पादन मानक)	सक्षम प्राधिकारी	देय फीस रू.
1	2	3	4	5	6
1	प्रक्रम वाहन का स्थाई परमिट स्वीकृति	1.प्ररूप सीजीएमव्ही आर 42(एससीपीए) में ओवदनपत्र, जिसपर अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा हो। 2.प्रस्तावित मार्ग का प्रमाणित नक्शा एवं स्टेजवार दूरी प्रमाण पत्र एवं मार्ग की संचालन योगय स्थिति संबंधी प्रमाणपत्र नियम-72(3) के अनुसार, जो सड़क के स्वामित्व विभाग अर्थात लो.नि.वि., वन विभाग, पंचायत विभाग आदि से प्राप्त किया जावेगा। 3.आवेदित वाहन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस	आवेदन पत्र देने के दिनांक से 120 दिन	अर्न्तराज्यीय मार्ग के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार तथा अन्य मार्गों के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	मेटर कैब से भिन्न परमिट हेतु रू.1000/-

		प्रमाण पत्र एवं बीमा प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित। 4.बकाया कर नही होने का प्रमाण पत्र, आवेदक के स्वामित्व की सभी वाहनों के लिए। 5.अन्य रज्यों की दशा में अन्य राज्यों में राष्ट्रीयकरण संबंधी प्रमाणपत्र यदि राष्ट्रीयकरण हो तो। 6.धारा 86 में चालान प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र। 7.निर्धारित फीस भुगतान का प्रमाण, नगदी फीस/कोषालय चालान मूलतः 8.आवेदक का अद्यतन तीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राम, परमिट व रिकार्ड पर चस्पा करने हेतु 9.समय-समय पर आरटीए/एसटीए के निर्देश के अनुसार विर्निदिष्ट अभिलेख भी संलग्न करें।			

2	नवीन प्रक्रम वाहन परमिट का प्रतिहस्ताक्षर	1. प्रक्रम वाहन परमिट का प्रतिहस्ताक्षर फार्म 42 पर आवेदित किया जावेगा 2- प्रतिहस्ताक्षर नवीनीकरण की दशा में मूल परमिट संलग्न करें। साथ ही मूल अधिकारी का अनुशंसा पत्र भी संलग्न करें। 3.निर्धारित फीस के नगदी भुगतान की रसीद अथवा कोषालयीन चालान मूलतः संलग्न करें। 4. प्रक्रम वाहन परमिट स्वीकृति के सम्बध में उपर बिन्दु 1 में जो अभिलेख उल्लेखित है, जहां तक लागू हो संलग्न किये जावेंगे। 5. अन्तर्राज्जीय मार्ग होने पर एक शपथपत्र संलग्न करें कि आवेदित मार्ग समझौते में है अथवा नहीं। तथा साथ में आवेदन पत्र की सभी जानकारी सही है इस हेतु घोषणा शपथपत्र में उल्लेख कर संलग्न करें। 6. समय-समय पर आरटीए / एसटीए के निर्देश के अनुसार विर्निदिष्ट अभिलेख भी संलग्न करें।	आवेदन पत्र देने के दिनांक से 120 दिन	अर्न्तराज्यीय मार्ग के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार तथा अन्य मार्गों के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	मेटर कैब से भिन्न परमिट हेतु रू.1000/-
3	प्रक्रम वाहन परमिट नवीनीकरण अथवा नवीकरण का प्रतिहस्ताक्षर	1- प्रक्रम वाहन परमिट नवीकरण अथवा नवीनकरण का प्रतिहस्ताक्षर हेतु फार्म 42 मे आवेदनपत्र दिया जावेगा 2- फार्म 42 के आवेदन पत्र के क्रमांक-14 में चाही गई वांछित जानकारी पूर्ण रूप से भरी जावेगी। 3- प्रक्रम वाहन परमिट के सम्बध में उपर बिन्दु 1 में जो अभिलेख नवीकरण में आवश्यक है वे संलग्न किये जावेंगे।	आवेदन पत्र देने के दिनांक से 120 दिन	अर्न्तराज्यीय मार्ग के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार तथा अन्य मार्गों के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	मेटर कैब से भिन्न परमिट हेतु रू.1000/-

		4- निर्धारित फीस की नगदी भुगतान रसीद अथवा कोषालयीन चालान मूलतः संलग्न करें 5- कर सम्बधी अनापत्ति प्रमाणपत्र सभी वाहनों के सम्बध में संलग्न करें। 6- नवीकरण क्यों किया जावे एवं अन्य बातें दर्शाते हुए एक शपथपत्र संलग्न करें। 7- प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण की दशा में मूल परमिट जिसपर मूल अधिकारी ने नवीकरण किया है संलग्न करें, साथ ही मूल अधिकारी का अनुशंसा पत्र भी संलग्न करें। 8) समय-समय पर आरटीए / एसटीए के निर्देश के अनुसार विर्निदिष्ट अभिलेख भी संलग्न करें			

4	आरक्षित प्रक्रम वाहन परमिट स्वीकृति एवं नवीकरण	**1 – (अ)** आरक्षित प्रक्रम वाहन का परमिट स्वीकृति अथवा नवीकरण का आवेदनपत्र सीजीएमव्हीआर 42 में दिया जावेगा। **(ब)** उसके द्वारा धारित अन्य आरक्षित परमिटों का पूर्ण विवरण संलग्न करें। **(स)** निर्धारित फीस का प्रमाण नगदी रसीद अथवा कोषालयीन चालान मूलतः **(द)** एक शपथपत्र जिसमें आरक्षित वाहन परमिट की क्यों आवश्यकता है, किस प्रक्रम वाहन परमिट के एवज में चलाना चाहते हैं, आदि की जानकारी दें। 2- समय-समय पर आरटीए / एसटीए के निर्देश के अनुसार विर्निदिष्ट अभिलेख भी संलग्न	आवेदन पत्र देने के दिनांक से 120 दिन	अर्न्तराज्यीय मार्ग के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार तथा अन्य मार्गों के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	रू.1000/-

5	**अखिल भारतीय पर्यटक यान का स्थाई परमिट एवं अथराईजेशन**	1) आवेदनपत्र फार्म 45 में तथा पर्यटक परमिट का अथराईजेशन हेतु फार्म 46 में आवेदन करें। 2) भाग-**III** के बिन्दु क्रमंक 01 में जो अन्य अभिलेख व फोटोग्राफ के जो निर्देश है वह भी यथासम्भव संलग्न करें। 3) मोटरवाहन (पर्यटक परिवहन आपरेटर के लिए अखिल भारतीय परमिट) नियम 1993 के अनुसार आपरेटर सम्बधी प्रमाणपत्र यदि आवश्यक हो तो संलग्न करें। 4) पर्यटक यान के विशिष्टिकरण के अनुसार वाहन होने का पंजीयन प्राधिकारी का प्रमाणपत्र एवं पर्यटक वाहन के कलर स्कीम का अद्यतन प्रमाणपत्र पंजीयन प्राधिकारी द्वारा जारी। 5) वाहन के अंदर तथा बाहर के तीन-तीन एंगल के फोटोग्राफ (कुल 6 फोटोग्राफ) 6) टू बाई टू, टू बाई वन अथवा वन बाई वन बैठक व्यवस्था संबंधी ड्राफ्टमेन का प्रमाणित प्रमाणपत्र जिसमें सीटों के मापदण्ड अंकित हो 7) यदि वाहन बंधक / अवक्रय करार अथवा लीज के अन्तर्गत हो तो उस संबंधी प्रमाणपत्र। 8) वातानुकूलन एवं स्लीपर कोच होने की दशा में बाडी निर्माता का प्रमाणपत्र एवं आवेदक का शपथपत्र । 9) आवेदित वाहन का रजिष्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, वैद्य फिटनेस प्रमाणपत्र एवं बीमा प्रमाणपत्र अभिप्रमाणित। 10) बकाया कर नहीं होने का प्रमाण पत्र, आवेदक के स्वामित्व की सभी वाहनों के लिए।	आवेदन पत्र देने के दिनांक से 120 दिन	राज्य परिवहन प्राधिकार	मोटर कैब परमिट हेतु रू. 800/- व शेष के लिये रू.1000/- अथराईजेशन फीस रू. 500

		11) धारा 86 में चालान प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र । 12) समय-समय पर आरटीए / एसटीए के निर्देश के अनुसार विर्निदिष्ट अभिलेख भी संलग्न करें। टीपः- उपर के सभी अभिलेख अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के साथ लगाना आवश्यक है। जहां तक वार्षिक अथराईजेशन का प्रश्न है, उसके आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख लगाये जावेंगेः- 1- अथराईजेशन का आवेदनपत्र फार्म 46 में दिया जावेगा। 2- पिछले अथराईजेशन की फोटोप्रति संलग्न की जावेगी एवं पर्यटक परमिट की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जावेगी। 3- छ.ग.राज्य के अथराईजेशन फीस के भुगतान की रसीद अथवा कोषालयीन चालान मूलतः। 4- पर्यटक वाहन के कलर स्कीम का अद्यतन प्रमाणपत्र पंजीयन प्राधिकारी द्वारा जारी संलग्न करें।			
6	संविदा वाहन परमिट	1) प्ररूप सीजीएमव्ही आर 43 (एससीसीपीए) में आवेदनपत्र, जिसपर अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा हो तथा आवेदक के हस्ताक्षर भी अभिप्रमाणित होना चाहितए। 2) आवेदित वाहन का रजिष्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र एवं बीमा प्रमाणपत्र अभिप्रमाणित। 3) बकाया कर नहीं होने का प्रमाण पत्र, आवेदक के स्वामित्व की सभी वाहनों के लिए। 4) धारा 86 में चालान प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र । 5) निर्धारित फीस भुगतान का प्रमाण नगदी रसीद / कोषालय चालान मूलतः 6) आवेदक का अद्यतन तीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, परमिट व रिकार्ड पर चस्पा करने हेतु। 7) समय-समय पर आरटीए / एसटीए के निर्देश के अनुसार विर्निदिष्ट अभिलेख भी संलग्न करें। 8) परमिट सम्बधी आवश्यकता दर्शाते हुए अन्य जानकारी के बाबत् शपथपत्र संलग्न करेंगे।	आवेदन पत्र देने के दिनांक से 120 दिन	यथास्थिति क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अथवा सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	रु.1000/-

7	परमिट अंतरण	1. अन्तरण आवेदनपत्र सीजीएमव्हीआर 59 (टीआरपीए) में दिया जावेगा जिसपर अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा हो तथा परमिट मूलतः संलग्न किया जावेगा साथ ही मृत्यु की सूचना जो प्राधिकार को दी गई थी, उसकी प्रति संलग्न करें। 2. आवेदनपत्र के भाग एक में साधारण अन्तरण के लिए पूर्ति की जावेगी तथा भाग दो में परमिटधारी के मृत्यु पर अन्तरण करने बाबत् पूर्ति की जावेगीं। **3.(अ)** मृतक परमिटधारी की दशा में उसका मृत्यु प्रमाणपत्र अभिप्रमाणित संलग्न करेंगे साथ में उत्तराधिकारियों की सूची रहेगी (ब) उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र तहसील कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर संलग्न किया जावेगा **अथवा** मृतक के जिस उत्तराधिकारी के नाम पर परमिट अंतरण होना है, उसके द्वारा सभी अन्य उत्तराधिकारियों के अनापत्ति प्रमाणपत्र शपथपत्र पर प्रस्तुत किये जावेंगे तथा स्वयं का शपथपत्र अलग से संलग्न करना होगा। 4. साधारण अंतरण में एक शपथपत्र अन्तरक (परमिटधारक) का तथा दूसरा शपथपत्र अन्तरिति (जिसके नाम पर अन्तरण होना है) का आवश्यक रूप से संलग्न किया जावेगा, जिसमें यह बताना आवश्यक होगा कि परमिट के लिए राशि ली गई है अथवा नहीं तथा वाहन की कितनी कीमत ली गई है। **टीप** :- शपथपत्र में सही जानकारी देना आवश्यक है अन्यथा गलत या धोखाधड़ी स्थिति होने पर आवेदनपत्र / परमिट निरस्त हो सकता है। 5. साधारण अंतरण की दशा में निर्धारित फीस का प्रमाण नगदी रसीद अथवा कोषालयीन चालान मूलतः संलग्न करना होगा। 6) अंतरिति का अद्यतन तीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, परमिट व रिकार्ड पर चस्पा करने हेतु। 7) आवेदित वाहन का रजिष्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र एवं बीमा प्रमाणपत्र अभिप्रमाणित। 8) बकाया कर नहीं होने का प्रमाण पत्र, आवेदक के स्वामित्व की सभी वाहनों के लिए। 9) धारा 86 में चालान प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र । 10) समय-समय पर आरटीए / एसटीए के निर्देश के अनुसार विर्निदिष्ट अभिलेख भी संलग्न करें।	आवेदनपत्र देने के दिनांक से 120 दिन		1.मोटर केब की दशा में रू. 500 2 अन्य वाहनों के लिए रू. 1000 3.मृतक परमिटधारी के परमिट के अन्तरण के लिए विविध आवेदनपत्र की फीस देय होगी अर्थात रू.50 /-

8	प्रक्रम वाहन/संविदा वाहन में धारा 80 (3) में परिवर्तन (वेरियेशन)	(1) प्रकम वाहन परमिट / संविदा वाहन परमिट में कोई भी परिवर्तन जैसे :- 1. नया मार्ग या कोई नया क्षेत्र सम्मिलित करने 2. विद्यमान मार्ग या क्षेत्र का परिवर्तन करने 3. प्रक्रम वाहन के अधिकतम फेरों में कमी या वृद्धि करने 4. मार्ग या मार्गों या क्षेत्र में परिवर्तन करने 5. विस्तार या कटौती करके परिवर्तन करने के लिए किया जाता है तो साधारण आवेदन द्वारा आवेदनपत्र दिया जावेगा एवं मूल परमिट संलग्न किया जावेगा। (2) आवेदनपत्र की फीस भुगतान का प्रमाण नगदी रसीद अथवा कोषालयीन चालान मूलतः संलग्न करेंगे। (3) मार्ग वृद्धि या करटलमेंट या फेरा वृद्धि की दशा में मार्ग का नक्शा व दूरी प्रमाणपत्र सम्बधित विभाग से मूलतः संलग्न करेंगे। 4) आवेदित वाहन का रजिष्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र एवं बीमा प्रमाणपत्र अभिप्रमाणित। 5) बकाया कर नहीं होने का प्रमाण पत्र, आवेदक के स्वामित्व की सभी वाहनों के लिए। 6) धारा 86 में चालान प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र । 7) समय-समय पर आरटीए / एसटीए के निर्देश के अनुसार विर्निदिष्ट अभिलेख भी संलग्न करें।			
9	प्रक्रम वाहन का 1-अस्थाई परमिट धारा 87 (1) (सी) के अंतर्गत अथवा 2. धारा 88 (1) एवं धारा 88 (7) के अन्तर्गत प्रतिहस्ताक्षर	1. धारा 87 (1) (सी) के अंतर्गत प्रथम बार किसी मार्ग पर अस्थाई परमिट चाहने पर आवेदनपत्र फार्म 45 में दिया जावेगा, जिसपर अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा हो तथा आवेदक के हस्ताक्षर अभिप्रमाणित हो। 2. निर्धारित फीस का प्रमाण नगदी भुगतान रसीद अथवा कोषालयीन चालान मूलतः संलग्न करें। 3. प्रक्रम वाहन के नवीन स्थाई परमिट बाबत् जो अभिलेख बिन्दु 1 में दिये गये हैं, जहां तक लागू होते हैं, संलग्न किये जावेंगे। टीपः- 1) प्रथम बार के बाद जब भी उसी मार्ग का अगला परमिट आवेदित किया जावे तो पूर्व परमिट की फोटोकापी, कर बकाया न होने का प्रमाणपत्र, धारा 86 प्रकरण न होने का प्रमाणपत्र, तथा निर्धारित फीस भुगतान का प्रमाणपत्र संलग्न किया जावेगा। यदि प्राधिकार अन्य कोई जानकारी मांगता है, तो उसके अभिलेख प्रस्तुत किये जावेंगे। 2) यदि अस्थाई परमिट का प्रतिहस्ताक्षर किया जाना हो तो उपर की सभी कार्यवाही हर बार प्रतिहस्ताक्षर के समय पूर्ण की जावेगी।	आवेदन पत्र देने के दिनांक से 15 दिन	राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अथवा सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	रू. 300

10	1.धारा-87 (1)(सी) के अस्थाई परमिट को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रक्रम वाहन /संविदा वाहन के अस्थाई परमिट अथवा 2.स्पेशल परमिट	1.अस्थाई परमिट का आवेदनपत्र फार्म सीजीएमव्हीआर 45 (टीपीए) में एवं स्पेशल परमिट का आवेदनपत्र सीजीएमव्हीआर 47 (एसपीए) में दिया जावेगा 2. आवेदनपत्र की फीस का प्रमाणपत्र नगदी रसीद अथवा कोषालयीन चालान मूलतः संलग्न करें 3.अस्थाई परमिट के आवेदनपत्र के साथ प्रयोजन को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र संलग्न करें 4.स्पेशल परमिट के आवेदनपत्र के साथ टूर प्रोग्राम, यात्रियों की सूची तीन-तीन प्रतियों में संलग्न करें एवं टूर प्रोग्राम का सत्यापन पुलिस थाने अथवा किसी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित संलग्न करें। 5.आवेदित वाहन का रजिष्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र एवं बीमा प्रमाणपत्र अभिप्रमाणित। 6 बकाया कर नहीं होने का प्रमाण पत्र, आवेदक के स्वामित्व की सभी वाहनों के लिए। 7.धारा 86 में चालान प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र । 8. समय-समय पर आरटीए / एसटीए के निर्देश के अनुसार विर्निदिष्ट अभिलेख भी संलग्न करें।	यदि आवेदित अवधि 07 दिन से अधिक हो तो 07 कार्य दिवस अन्यथा 01 कार्य दिवस	यथास्थिति सचिव / अति. सचिव / सहा. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	1.मोटर केब के लिए 100/- 2.धारा 87 (1)(ए) में रू. 200/- 3.धारा 87 (1)(बी) अथवा (डी) में रू. 300 4.स्पेशल परमिट के लिए रू. 500
11	डुप्लीकेट स्थाई/ अस्थाई परमिट हेतु	1.सधारण आवेदनपत्र, निर्धारित फीस के साथ प्रस्तुत किया जावेगा। 2. निर्धारित फीस का प्रमाण मूलतः संलग्न करें। 3. गुम होने का कारण दर्शाते हुए आवेदनपत्र के साथ आवेदक की ओर से शपथपत्र संलग्न करें।	07 कार्य दिवस	यथास्थिति सचिव / अति. सचिव / सहा. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	100/-
12	परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन	1.फार्म सीजीएमव्हीआर --- (--) में निर्धारित फीस जमा कर दिया जावेगा। 2. परिवर्तन की जाने वाली वाहन का रजिष्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र एवं बीमा प्रमाणपत्र अभिप्रमाणित संलग्न करें। 3 बकाया कर नहीं होने का प्रमाण पत्र, आवेदक के स्वामित्व की सभी वाहनों के लिए। 4.धारा 86 में चालान प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र ।	07 कार्य दिवस	यथास्थिति सचिव / अति. सचिव / सहा. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा	500/-

		5. समय-समय पर आरटीए / एसटीए के निर्देश के अनुसार विर्निदिष्ट अभिलेख भी संलग्न करें।		क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	

13	मालवाहन का स्थाई परमिट -1. नवीन स्वीकृति 2.नवीकरण 3. परमिट में परिवर्तन	1) प्ररूप सी जी एम व्ही आर 44 (जीसीपीए) में आवेदनपत्र, जिसपर अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा हो। 2) आवेदित वाहन का रजिष्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र एवं बीमा प्रमाणपत्र अभिप्रमाणित। 3) बकाया कर नहीं होने का प्रमाण पत्र, आवेदक के स्वामित्व की सभी वाहनों के लिए। 4) अन्य राज्यों की दशा में समझौते के प्रावधान सम्बधी घोषणा 5) धारा 86 में चालान प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र । 6) निर्धारित फीस भुगतान का प्रमाण नगदी रसीद / कोषालय चालान मूलतः 7) आवेदक का अद्यतन तीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, परमिट व रिकार्ड पर चस्पा करने हेतु। 8) समय-समय पर आरटीए / एसटीए के निर्देश के अनुसार विर्निदिष्ट अभिलेख भी संलग्न करें।	आवेदन पत्र देने के दिनांक से 120 दिन	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अथवा सचिव, अति. सचिव / सहा. सचिव, क्षे. प.प्रा.	रू.1000/-
14	मालवाहन का नेशनल परमिट- 1. नवीन स्वीकृति 2.नवीकरण 3. परमिट में परिवर्तन 4. अथराईजेशन	1) नेशनल परमिट हेतु प्ररूप सी जी एम व्ही आर 44 (जीसीपीए) में आवेदनपत्र, जिसपर अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा हो। 2) अथराईजेशन हेतु फार्म 46 में आवेदनपत्र, जिसपर अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा हो। 3) आवेदित वाहन का रजिष्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र एवं बीमा प्रमाणपत्र अभिप्रमाणित। 4) बकाया कर नहीं होने का प्रमाण पत्र, आवेदक के स्वामित्व की सभी वाहनों के लिए। 5) धारा 86 में चालान प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र । 6) निर्धारित फीस भुगतान का प्रमाण नगदी रसीद / कोषालय चालान मूलतः 7) आवेदक का अद्यतन तीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, परमिट व रिकार्ड पर चस्पा करने हेतु। 8) समय-समय पर आरटीए / एसटीए के निर्देश के अनुसार विर्निदिष्ट अभिलेख भी संलग्न करें। टीपः- 1.मालवाहन के नेशनल परमिट हेतु उपरोक्त अभिलेखों का लगाया जाना आवश्यक है। 2. अथराईजेशन हेतु अन्य आवश्यकताओं के अलावा	1. नेशनल परमिट हेतु आवेदन पत्र देने के दिनांक से 120 दिन 2. अथराई जेशन हेतु आवेदन के दिनांक	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अथवा सचिव, अति. सचिव / सहा. सचिव, क्षे. प.प्रा.	रू.1000/-

		कम्पोजिट फीस का डिमांड ड्राफट चुने गये प्रति राज्यों के लिए निर्धारित दर से तथा पिछले अथराईजशन की प्रति। 3. नेशनल परमिट के नवीकरण के लिए भी उपर अनुसार अभिलेख संलग्न किये जावेंगे। 4.परमिट में परिवर्तन हेतु भी फार्म 44 में आवेदन के साथ उपर अनुसार अभिलेख संलग्न किये जावेंगे।	से 07 दिन		

15	प्रायवेट सेवायान परमिट अथवा शैक्षणिक संस्था की वाहन के परमिट हेतु – 1. नवीन स्वीकृति 2. नवीकरण 3. अन्य राज्य के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर	1. प्रायवेट सेवायान के परमिट हेतु आवेदनपत्र सीजीएमव्हीआर 46 (पीएसव्हीपीए) में जिसपर वाहन स्वामी का / कंपनी या फर्म की दशा में मुख्य कार्यकारी व्यक्ति का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा हो। 2) शैक्षणिक संस्था के वाहन के परमिट हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित फार्म में जिसपर वाहन स्वामी / संस्था के मुख्य कार्यकारी व्यक्ति का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा हो। 3) आवेदित वाहन का रजिष्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र एवं बीमा प्रमाणपत्र अभिप्रमाणित। 4) बकाया कर नहीं होने का प्रमाण पत्र, आवेदक के स्वामित्व की सभी वाहनों के लिए। 5) धारा 86 में चालान प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र । 6) निर्धारित फीस भुगतान का प्रमाण नगदी रसीद / कोषालय चालान मूलतः 7) आवेदक का अद्यतन तीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, परमिट व रिकार्ड पर चस्पा करने हेतु। 8) समय-समय पर आरटीए / एसटीए के निर्देश के अनुसार विर्निदिष्ट अभिलेख भी संलग्न करें। टीपः- 1. प्रायवेट सेवायान / शिक्षण संस्था की वाहन का परमिट यदि अन्य राज्य के लिए भी हो तो अन्य राज्य में आवश्यकता दर्शाते हुए प्रमाण संलग्न करें। 2. प्रायवेट सेवायान के स्वामी के व्यवसाय के सम्बध में आवश्यक प्रमाण, भागीदारी अथवा कंपनी के रजिस्ट्रेशन संबंधी अभिलेख एवं किस प्रकार प्रायवेट सेवायान का उपयोग कर रहे हैं, इस सम्बधी शपथपत्र संलग्न करें। 3. शैक्षणिक संस्था के वाहन के परमिट के संबंध में संस्था का कार्यक्षेत्र, संचालित होने वाले मार्ग, प्रतिदिन का समयचक्र अनुसूची एवं अन्य प्रमाण जो आवश्यक है, संलग्न करें। 4. दोनों वर्गो के परमिटों के नवीकरण के लिए उपर स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख के	आवेदन पत्र देने के दिनांक से 30 दिन	1.स्वीकृति अथवा नवीकरण की स्थिति में यथास्थिति क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अथवा सचिव / अति. सचिव / सहा. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 2. अन्य राज्य के इन परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के लिए एसटीए	1000/-

		समान ही प्रस्तुत किये जावेंगे। 5. प्रतिहस्ताक्षर की दशा में अन्य राज्य का परमिट संलग्न करना होगा, तथा उस राज्य के एसटीए की अनुशंसा संलग्न की जावेगी।			

16	परमिट सम्बधी अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा परमिट सम्बधी प्रमाणपत्र अथवा विविध प्रमाण पत्रों हेतु अथवा विभिन्न प्रकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु	6.साधारण आवेदनपत्र पर निर्धारित फीस के साथ प्रमाणपत्र का विवरण दर्शाते हुए दिया जावेगा। 7.यदि कोई अभिलेख संलग्न करना आवश्यक हो तो वह भी संलग्न किया जावेगा।	07 कार्य दिवस	यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, अथवा अति. सचिव / सहा. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	50/-
17	प्रारूप सीजीएमव्ही आर 64 (कम्पटीएजी) की शिकायत पुस्तक प्रदाय	आवेदनपत्र साधारण फार्म निर्धारित फीस भुगतान के प्रमाण के साथ आवश्यकता बताते हुए दिया जावेगा।	07 कार्य दिवस	यथास्थिति सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, अथवा अति. सचिव / सहा. सचिव, राज्य	100/-

				परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	
18	बस स्टेण्ड पर कार्य करने वाले ट्रेवल एजेंट लायसेंस 1. स्वीकृति / नवीनकरण 2. डुप्लीकेट लायसेंस हेतु	1.आवेदनपत्र फार्म सीजीएमव्हीआर 63 (टीव्हीरजी) में अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित एवं अभिप्रमाणित चस्पा फोटो सहित दिया जावेगा। 2. निर्धारित फीस का प्रमाण संलग्न किया जावेगा। 3. अभिकर्ता के अनुभव का प्रमाणपत्र संलग्न किया जावेगा। 4. आवेदक के चरित्र सत्यापन हेतु आवश्यक विवरण दिया जावेगा। 5. तीन अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ संलग्न किये जावेंगे। 6. लायसेंस नवीकरण हेतु उपर के सभी अभिलेख संलग्न किये जावेंगे। 7. डुप्लीकेट लायसेंस हेतु साधारण आवेदनपत्र पर शपथपत्र सहित आवेदनपत्र दिया जावेगा, जिसके साथ फीस संलग्न होगी और उपर के अभिलेख जहां तक लागू होते हैं, संलग्न किये जावेंगे।	आवेदन पत्र देने के दिनांक से 45 दिन	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, अथवा सचिव / अति./ सहा. सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	1.लयसेंस स्वीकृति अथवा नवीनकरण हेतु 5000/- 2. द्वितीय प्रति हेतु रू. 2000
19	माल के संग्रहण, अग्रेषण और वितरण के कारोबार में लगे हुए अभिकर्ताओं की नियुक्ति हेतु	1. आवेदन पत्र प्रारूप सीजीएमव्हीआर 65 (एलएजीए-गुडस) में अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित एवं अभिप्रमाणित चस्पा फोटो सहित दिया जावेगा। 2. निर्धारित फीस का प्रमाण संलग्न किया जावेगा। 3. परिसर अनुमोदन संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न किया जावेगा। 4. मुख्य कार्यालय के अतिरिक्त प्रत्येक शाखा की दशा में भी परिसर अनुमोदन का प्रमाणपत्र संलग्न किया जावेगा। 5. किस वर्ग का लायसेंस अपेक्षित है उस संबंधी अनुभव का प्रमाणपत्र संलग्न किया जावेगा। 6. परिसर के सम्बध में यदि किराये पर परिसर लिया गया हो तो किराया संबंधी समझौते की प्रति संलग्न की जावेगी। 7.तीन अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ संलग्न किये जावेंगे।	आवेदन पत्र देने के दिनांक से 120 दिन	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	1.अनुज्ञप्ति हेतु 5000/- 2.अनुपूरक अनुज्ञप्ति प्रति शाखा रू. 500 3. अनुज्ञप्ति नवीकरण रू. 300 4.अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति (अ)-प्रमुख अनुज्ञप्ति रू. 250 (ब)- शाखा अनुज्ञप्ति रू. 200

		8. लायसेंस नवीकरण हेतु उपर के सभी अभिलेख संलग्न किये जावेंगे। 9. डुप्लीकेट लायसेंस हेतु साधारण आवेदनपत्र पर शपथपत्र सहित आवेदनपत्र दिया जावेगा, जिसके साथ फीस संलग्न होगी और उपर के अभिलेख जहां तक लागू होते हैं, संलग्न किये जावेंगे।			